O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. ......
Date 01 MAR 2023
AGM (IT)
SE (O)/SE ......
EE ......
Section......

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

सी.आई.एन:— U40108CT2003SGC015820

कार्या :— मुख्य अभियंता (मा0सं0)

क्रमांक :— 01—01 / अ.प्र.क. / 11 / 2022 / 1079 रायपुर, दिनांक 27/02/2023

(अपील प्रकरण क्रमांक 11 / 2022)

श्री संतोष कोसरिया अपीलार्थी
खरोरा

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

—:: आदेश ::—

(दिनांक 27/02/2023 को पारित)

अपीलार्थी श्री संतोष कोसरिया ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)— दो, के निर्णय दिनांक 14.12.2022 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) — प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :—

(I)	सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी / दस्तावेज :—	छ.ग.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि, के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग—राजनांदगांव क्षेत्र के लिए डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर के नियमित पद हेतु विज्ञापन क्रमांक 01—04 / पीडी—तीन / 2452 रायपुर दिनांक 01.10.2018 के हिन्दी एवं अंग्रेजी की कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण निम्नलिखित 52 रोल नंबर के उम्मीदवारों के द्वारा कुल टाईप किये गये शब्दों (स्क्रीप्ट) की त्रुटियों सहित सत्यापित प्रति।	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी की अपील तर्क व कारण :—	जन सूचना अधिकारी ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 10044 / 2010 में पारित आदेश दिनांक 13.11.2019 के पैरा—59 का हवाला देते हुए मुझे जानकारी देने से मना कर दिया है। माननीय न्यायालय ने अपने पैरा के अंतिम लाईन में यह भी कहा है कि यदि कोई जानकारी व्यापक लोकहित की शर्त को पूरा करता है तो व्यक्तिगत / गोपनीय सूचना भी आवेदक को दिया जा सकता है। अपीलार्थी का तर्क एवं तथ्य :— (1) पॉवर कंपनी पर यह आरोप लगा है कि उन्होने अपने मन—मुताबिक अभ्याथियों को कौशल परीक्षा में अंक प्रदान किया गया है। (2) सभी अभ्याथियों को कौशल परीक्षा में मूल्यांकन समान रूप से नहीं किया है। (3) पॉवर कंपनी में भर्ती हेतु निष्पक्षता नहीं अपनाई गई है। (4) जानकारी प्राप्त होते ही पॉवर कंपनी पर लगे भ्रष्टाचार, धांधली, घोटला आरोपों की सत्यता की जॉच की जा सकती है जो व्यापक लोकहित में है। अतः उन्हे वांछित जानकारी उपलब्ध करायी जाए।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि :	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :—
			अपीलार्थी द्वारा दर्ज अपील समयावधि के दौरान इस कार्यालय में प्रथम अपीलीय अधिकारी पदस्थ

			नहीं होने के कारण निर्धारित समयावधि में अपील में सुनवाई नहीं की जा सकी।
		17.02.2023	जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी उपस्थित हुये। दोनों के तर्क कथन सुने गए। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न हुई।
(IV)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा तर्क :–		जनसूचना अधिकारी का तर्क/कथन कि अपीलार्थी द्वारा डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर भर्ती परीक्षा में हिन्दी एवं अंग्रेजी की कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण निम्नलिखित 52 रोल नंबर के उम्मीदवारों के द्वारा कुल टाईप किये गये शब्दों (स्क्रीप्ट) की त्रुटियों सहित सत्यापित प्रति चाही गई है। तत्संबंध में निर्धारित समयावधि के भीतर अपीलार्थी को अवगत कराया गया है कि वांछित जानकारी "पर व्यक्ति से संबंधित गोपनीय सूचना है। सूचनाधिकार की धारा 8 (1)(J) में निहित प्रावधान के अनुसार "पर व्यक्ति" की जानकारी प्रदान करने की बाध्यता नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 10044/2010 में पारित आदेश दिनांक 13.11.2019 के अनुसार उम्मीदवारों के नाम, पता, भौतिक मानसिक स्थिति, प्राप्त अंक, ग्रेड एवं उत्तर पुस्तिका को व्यक्तिगत सूचना के रूप में मान्य किया गया है। (छायाप्रति संलग्न है।) इसी अनुक्रम में माननीय छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग, रायपुर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक A/431/2020, आदेश दिनांक 27.05.2022 पारित किया है, जिसके अनुसार उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिका के प्रगटन को अधिनियम की धारा 8(1)(जे) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत लोकहित में ना होने हेतु मान्य किया है। तथापि आवेदक को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पत्र कमांक 855 दिनांक 07.03.2020 के माध्यम से छ.ग.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि, के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग–राजनांदगांव क्षेत्र के लिए डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर पद पर भर्ती के तारतम्य में उनके द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में टाईप किए गए स्क्रीप्ट की जानकारी/दस्तावेज से पूर्व में ही अवगत करा दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपील में दिये गये तर्क एवं तथ्य पूर्णतः निराधार है। तथापि पॉवर कंपनी पर लगाये गये आरोप तर्कहीन है। डाटा ऐन्टी ऑपरेटर भर्ती की परीक्षा एक ख्याति प्राप्त संस्था द्वारा संचालित किया गया है। अतएव अपीलार्थी का यह कथन कि भर्ती में पूर्ण निष्पक्षता नहीं अपनाई गई है,

			जो सत्यता से परे नहीं है। अपीलार्थी को अपेक्षित जानकारी नियमानुसार उपलब्ध कराये जाने के पश्चात और अधिक जानकारी की अपेक्षा किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों से यह सिद्ध किया जाना आवश्यक है कि उक्त सूचना दिये जाने मे व्यापक लोकहित सन्निहित है और जानकारी दिया जाना विधिसंगत है।

(3) – प्रकरण में आये तथ्यों एवं तर्कों से ऐसा प्रतीत होता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही तर्कसंगत है। तालिका 01 में अपीलार्थी द्वारा डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर भर्ती परीक्षा में हिन्दी एवं अंग्रेजी की कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण निम्नलिखित रोल नंबर 52 उम्मीदवारों के द्वारा कुल टाईप किये गये शब्दों (स्क्रीप्ट) की त्रुटियों सहित सत्यापित प्रति चाही गयी है। उक्त जानकारी परव्यक्ति से संबंधित है। जिसमें किसी प्रकार की लोकक्रियालाप सन्निहित नहीं है। अतएव धारा 8(1)(j) के अंतर्गत जानकारी देने की बाध्यता नहीं है। यद्यपि किसी तृतीय पक्ष को परव्यक्ति से संबंधित जानकारी बताया जाना उस स्थिति में उचित एवं तर्कसंगत नही है, जब परीक्षा के कई आधारों को गोपनीय रखा जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय का सिविल अपील क्रमांक 10044/2010 दिनांक 13.11.2019 एवं माननीय छ.ग. राज्य सूचना आयोग का द्वितीय अपील प्र.क्र. A/431/2020 आदेश दिनांक 27.05.2022 निर्णयों के दृष्टिगत अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध कराया जाना उचित नहीं है। यद्यपि तालिका (IV) में आवेदक को सूचनाधिकार के अंतर्गत डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर पद पर भर्ती के तारतम्य में उनके द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में टाईप किए गए स्क्रीप्ट की जानकारी से पूर्व में ही अवगत करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार यह परिलक्षित होता है कि अपीलार्थी द्वारा तालिका 01 में वांछित जानकारी अन्य उम्मीदवारों की व्यक्तिगत सूचनॉए है जो किसी भी दृष्टि से लोक गतिविधि से संबंधित नहीं है। अतः जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही की गई है वह स्वीकार योग्य है। यद्यपि अपील सुनवाई के दौरान अपीलार्थी द्वारा लोक गतिविधि से संबंधित कोई तर्कसंगत आधार प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिससे कि जानकारी को प्रकट किये जाने पर विचार किया जा सके। अपितु तथ्यगत परिस्थितिवश प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। तदनुसार दर्ज अपील प्रकरण क्रमांक 11 दिनांक 29.12.2022 एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

27.2.23

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह मुख्य अभियंता (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष क्रमांक– 0771–2574700

प्रतिलिपि :–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)– दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) श्री संतोष कोसरिया, वार्ड नबंर –06, गुरू घासीदास मंदिर के सामने, खरोरा, तहसील –खरोरा, जिला –रायपुर (छ.ग.) पिन –493225 को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव, छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग, अटल नगर, नवा रायपुर